भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1098
(13 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत एनएमएमएस एप द्वारा उपस्थिति दर्ज करना

1098. श्रीमती कविता मलोथूः
डॉ. जी. रणजीत रेड्डीः
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क): क्या सरकार ने राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (एनएमएमएस) एप के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख): क्या उपरोक्त एप देश की सभी मान्यताप्राप्त भाषाओं में उपलब्ध नहीं है और केवल पांच भाषाओं में उपलब्ध है;

(ग): क्या सरकार अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा नहीं पढ़ पाने वाले अधिकांश मनरेगा श्रमिकों के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत है; और

(घ): यदि हां , तो सरकार द्वारा अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं को एनएमएमएस एप में उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए , 21 मई 2021 को हर कार्य दिवस में श्रमिक की समय सहित जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से ऐसे कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करने का प्रावधान शुरू किया गया है , जिसमें 20 या अधिक श्रमिकों के लिए मस्टर रोल भी जारी किए जाते हैं। यह भुगतान में तेजी लाने के अलावा कार्यक्रम की नागरिक निगरानी को भी बढ़ाता है।

(ख): एनएमएमएस मोबाइल ऐप अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में उपलब्ध है।

(ग) और (घ): सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पात्र कार्यस्थल की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए एनएमएमएस ऐप का उपयोग कर रहे हैं। अभी तक इस मंत्रालय द्वारा एनएमएमएस ऐप की भाषा के कारण एनएमएमएस के उपयोग न करने से संबंधित कोई विशिष्ट मुद्दे सामने नहीं आए हैं।

मेट को एनएमएमएस ऐप के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुरोध किए जाने पर एनएमएमएस ऐप को सुगम रूप से अपनाना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। जिन तकनीकी मुद्दों का सामना किया जा रहा है , उन्हें रियल टाइम आधार पर एनआईसी , ग्रामीण विकास के समक्ष उठाया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुरोध किए गए नए प्रावधानों/सुझावों को शामिल किया जा रहा है। एनएमएमएस आवेदन से संबंधित सभी मुद्दों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और हल किया जाता है।

राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुसार लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नानुसार हैं:

1. एनएमएमएस एप्लिकेशन को उपस्थिति और पहली तस्वीर अपलोड करने के 4 घंटे बाद दूसरी तस्वीर दर्ज करने के लिए संशोधित किया गया है। इसमें उपस्थिति और तस्वीरों को दर्ज करने के लिए विशिष्ट समय बिंदु की आवश्यकता को आसान बनाया गया है। पहली तस्वीर के साथ सुबह की उपस्थिति को ऑफ़लाइन मोड में दर्ज किया जा सकता है और डिवाइस के नेटवर्क में आने के बाद अपलोड किया जा सकता है।

2. असाधारण परिस्थितियों के मामले में, जिसके कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकी , जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) को मैनुअल उपस्थिति अपलोड करने के लिए अधिकृत किया गया है।

****